श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, उस मुद्दे का क्या होगा, जिसे मैं सभा में उठाने वाला था?

अध्यक्ष महोदय: मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उसे हम कल नहीं उठा सके थे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने उन्हें एलाऊ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग पर चर्चा

****प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह):** मैंने 27 फरवरी, 2006 के अपने वक्तव्य में यह आश्वासन दिया था कि अपने नागरिक और सैन्य परमाणु संयंत्रों को अलग-अलग करने के संबंध में अमेरिका के साथ हुई बातचीत से संबंधित गतिविधियों के बारे में इस सम्मानित सदन को अवगत कराया जाएगा। आगे मैं सभा को अपने 27 फरवरी के स्वत: वक्तव्य के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराना चाहता हूं।

अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति श्री जार्ज डब्ल्यू. बुश 1-3 मार्च, 2006 को भारत के दौरे पर आए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

डा. मनमोहन सिंह: उनकी इस यात्रा से संयुक्त वक्तव्य जो पिछली जुलाई में वाशिंगटन के मेरे दौरे के समय जारी किया गया था, के बाद हमारी सामरिक भागीदारी को मजबूत करने में हुई प्रगति की समीक्षा करने का हमारे दोनों देशों को मौका मिला। हमारी चर्चाओं में कृषि, आर्थिक तथा व्यापार सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ पर्यावरण, नई तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने जैसे क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विस्तार करने और विश्व में सुरक्षा का वातावरण पैदा करने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था। इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान जारी किये गये संयुक्त वक्तव्य का पूरा मूल पाठ सदन के पटल पर रखा गया है।

मुझे सदन को अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में भारत और अमेरिका के बीच एक पृथक्करण योजना पर समझौता हुआ। तद्नुसार, भारत अपने नागरिक और सैन्य परमाणु संयंत्रों को चिन्हित और पृथक् करेगा तथा अपने नागरिक परमाणु संयंत्रों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रखेगा। मैं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उस पृथक्करण योजना** को सदन के पटल पर रख रहा हूं जिसे भारत द्वारा तैयार किया गया है और जिस पर 18 जुलाई, 2005 के भारत-अमेरिकी संयुक्त वक्तव्य के क्रियान्वयन के संबंध में भारत तथा अमेरिका के बीच सहमति बनी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपमें से जिसे भी तत्काल बात करनी है कृपया वे सभा से बाहर जाकर चर्चा करें।

डा. मनमोहन सिंह: महोदय, मैं पृथक्करण योजना की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करना चाहूंगा:-

(एक) भारत सन् 2006-2014 के बीच 14 ताप विद्युत रिएक्टरों को चिन्हित कर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी के लिए प्रस्तावित करेगा। देश में 22 ताप विद्युत रिएक्टर काम कर रहे हैं अथवा इस समय निर्माणाधीन हैं। इनमें से 14 रिएक्टरों को सन् 2014 तक चरणबद्ध तरीके से निगरानी के तहत रखा जाएगा। इससे निगरानी के तहत कुल स्थापित ताप विद्युत मेगावाट क्षमता वर्तमान 19% से बढ़कर

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी.-3788/2006

[डा. मनमोहन सिंह]

सन् 2014 तक 65% तक पहुंच जाएगी। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि किन-किन परमाणु रिएक्टरों को चिन्हित किया जाएगा और किन चरणों में उन्हें निगरानी के तहत रखा जाएगा, यह निर्णय भारत सरकार का होगा। हम उन 14 रिएक्टरों की एक सूची तैयार कर रहे हैं जिन्हें सन् 2006 से 2014 के बीच निगरानी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

(दो) हमने बता दिया है कि भारत कलपक्कम में स्थित प्रोटेटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) तथा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफ.बी.टी.आर.) दोनों पर निगरानी को स्वीकार नहीं करेगा। फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम अनुसंधान और विकास की अवस्था में है और इसकी प्रौद्योगिकी को परिपक्व होने तथा विकास की उन्नत अवस्था तक पहुंचने में समय लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम में कोई बाधा पैदा हो, और इस बात को पृथक्करण योजना में पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया गया है।

(तीन) भारत ने सभी भावी नागरिक ताप विद्युत रिएक्टरों तथा नागरिक ब्रीडर रिएक्टरों को निगरानी के तहत रखने का निर्णय लिया है और भारत सरकार के पास ऐसे रिएक्टरों को नागरिक श्रेणी में रखने का अनन्य अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार भावी परमाणु संयंत्रों, चाहे वे नागरिक हों अथवा सैन्य, के निर्माण में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी।

(चार) भारत ने यह निर्णय लिया था कि सन् 2010 में साईरस (सी.आई.आर.यू.एस.) रिएक्टर स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। अप्सरा रिएक्टर का फ्यूल कोर फ्रांस से खरीदा गया था, और हम इसे इसके मौजूदा स्थान से स्थानांतरित करने तथा सन् 2010 में निगरानी के तहत रखने हेतु उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। साईरस और अप्सरा दोनों रिएक्टर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थित हैं। हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्व वाले परमाणु संयंत्र का गहन निरीक्षण कराने की अनुमति देने की बजाए ये कदम उठाए जाएं। हम इस बात के लिए भी कृतसंकल्प है कि इन कदमों से मौजूदा अनुसंधान और विकास कार्य बाधित नहीं होगा।

(पांच) हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम के लिए ईंधन चक्र से जुड़ी रिप्रोसेसिंग और इनरिचमेंट क्षमताओं तथा अन्य सुविधाओं को पृथक्करण योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

(छह) पृथक्करण योजना में जिन मुख्य बिन्दुओं को शामिल किया गया है उनमें से एक यह है कि तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई में व्यवधान के संबंध में हमारे पिछले दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को देखते हुए ईंधन की आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया गया है। हमें अमेरिका से उन रिएक्टरों के लिए भारत को विश्वसनीय तौर पर ईंधन की आपूर्ति का वादा मिला है जिन्हें निगरानी के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। अमेरिका ने भी आपने आश्वासन को दोहराया है कि वह भारत के लिए आवश्यक माहौल तैयार करेगा ताकि उसे ऐसे रिएक्टरों के लिए सुनिश्चित तथा पूरा ईंधन मिल सके। 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के तहत अमेरिका इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वह अपने घरेलू कानूनों में संशोधन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की सहमति प्राप्त करेगा और न्यूक्लीयर सप्लायर्स ग्रुप की पद्धतियों को समायोजित करने हेतु अपने मित्र देशों तथा सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि भारत के लिए आवश्यक माहौल बनाया जा सके जिससे उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परमाणु ईंधन पूरी तरह मिल सके जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की फर्मों से विश्वसनीय तौर पर, निर्बाध और लगातार ईंधन की आपूर्ति भी शामिल है। इसे यात्रा के दौरान हुए औपचारिक समझौतों में दर्शाया गया है और पृथक्करण योजना में शामिल किया गया है।

(सात) भारत को ईंधन की आपूर्ति किसी तरह बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका अन्य अतिरिक्त कदम उठाने के लिए तैयार है जैसे:-

(क) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर एक द्विपक्षीय अमेरिकी-भारत समझौते, जिस पर बातचीत की जाएगी, में ईंधन की आपूर्ति के सम्बंध में आश्वासनों को शामिल करना।

(ख) भारत के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से बातचीत करने के लिए अमेरिका भारत को सहयोग देगा।

(ग) अमेरिका, भारत के रिएक्टरों के जीवनकाल तक ईंधन की आपूर्ति में किसी तरह के व्यवधान न आने देने के लिए परमाणु ईंधन का एक स्ट्रेटजिक रिजर्व तैयार करने में भारत के प्रयासों में सहयोग करेगा।

(घ) इन व्यवस्थाओं के बावजूद यदि भारत के लिए ईंधन की आपूर्ति बाधित होती हो तो अमेरिका और भारत ईंधन की आपूर्ति करने वाले मित्र देशों के समूह से संयुक्त रूप से आग्रह करेंगे कि वह भारत को ईंधन की आपूर्ति की बहाली के उपाय करने हेतु रूस, फ्रांस तथा ब्रिटेन जैसे देशों को शामिल करे।

महोदय, अमेरिका के साथ बनी उपर्युक्त सहमति के मद्देनजर, भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच भारत के लिए निगरानी समझौते पर बातचीत की जाएगी। संक्षेप में, भारत के लिए निगरानी उपायों में: एक ओर जहां निगरानी के तहत रखी हुई परमाणु सामग्री के किसी भी समय नागरिक इस्तेमाल से निकालने पर निगरानी होगी वहीं दूसरी ओर, विदेशी ईंधन की आपूर्ति में व्यवधान आने की स्थिति में भारत को अपने नागरिक परमाणु रिएक्टरों का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित करने हेतु उपचारात्मक उपाय करने की अनुमति होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत अपने नागरिक परमाणु संयंत्रों को निरंतर भारत-विशिष्ट निगरानी के तहत रखेगा और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ एक समुचित निगरानी समझौते पर बातचीत करेगा। इस प्रकार पृथक्करण योजना की शर्तों में भारत के उन रिएक्टरों जिन्हें निगरानी के तहत रखा जाएगा, के लिए ईंधन की अबाधित आपूर्ति करने हेतु भारत का आश्वासन दिया गया है। साथ ही ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में उपचारात्मक उपाय करने के भारत के अधिकार का भी आश्वासन दिया गया है। सदन इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि भारत ने अपने हितों की पूरी तरह रक्षा करने हेतु सभी समुचित उपाय करने का अपना सम्प्रभु अधिकार बनाए रखा है।

इस विषय पर 29 जुलाई, 2005 और 27 फरवरी, 2006 को दिए गए अपने स्वतः वक्तव्यों के दौरान मैंने इस सम्मानित सदन को और माननीय सदस्यों के माध्यम से देश को यह आश्वासन दिया था कि पृथक्करण योजना से हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि बात वस्तुतः यही है। मैं कह सकता हूं कि:

(एक) पृथक्करण योजना से हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा स्ट्रेटजिक कार्यक्रम किसी भी तरह बाधित नहीं होगा, और पृथक्करण योजना से हमारे स्ट्रेटजिक कार्यक्रम की मौजूदा और भावी जरूरतों जो खतरे के माहौल के हमारे मूल्यांकन पर आधारित है, को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से फिसाइल सामग्री तथा अन्य सामग्रियां सुनिश्चित होगी। स्ट्रेटजिक प्रयोजनों के लिए नए संयंत्रों का निर्माण करने के हमारे अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हमारे परमाणु सिद्धांत की अखंडता और न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निरोधक बनाए रखने की हमारी क्षमता पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। हमारी नाभिकीय नीति संयम और उत्तरदायिता के सिद्धांतों पर आधारित रहेगी।

(दो) पृथक्करण योजना हमारे थोरियम के भंडारों के भावी इस्तेमाल सहित हमारे त्रि-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम की अखंडता के रास्ते में आड़े नहीं आएगी। परमाणु क्षेत्र में हमारे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की स्वायत्तता बनी रहेगी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर तथा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निगरानी के दायरे से बाहर रहेंगे। तथापि, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भावी नागरिक ताप विद्युत रिएक्टरों तथा नागरिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को निगरानी के तहत रखा जाएगा। किन्तु इनमें से किस रिएक्टर को नागरिक श्रेणी में रखा जाएगा यह निर्धारित करना पूरी तरह से भारत का निर्णय होगा।

जैसा कि मैंने 27 फरवरी के अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था, पृथक्करण योजना मेरे कार्यालय की देखरेख में गहन आंतरिक परामर्श प्रक्रिया के बाद बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार की गई है। पृथक्करण योजना को तैयार करने में परमाणु ऊर्जा विभाग तथा हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हर स्तर पर सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वार्ताओं के दौरान हमने किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व से जुड़ी किसी भी सूचना से समझौता करने की अनुमति नहीं दी है।

महोदय, मैं समझता हूं कि 18 जुलाई, 2005 के वक्तव्य का महत्व यह है कि इससे यह आशा बंधी है कि भारत अब परमाणु सम्पन्न देशों से अलग-थलग नहीं रहेगा। इससे न केवल अमेरिका के साथ बल्कि रूस और फ्रांस जैसे देशों तथा उन्नत परमाणु क्षमताओं वाले अन्य देशों जिसमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से प्राप्त होने वाली क्षमताएं भी शामिल हैं, के साथ भी सहयोग की संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान कार्यों में सहयोग की गुंजाइश काफी बढ़ जाएगी। इसी तरह परमाणु अनुसंधान कार्यकलापों में भी सहयोग बढ़ेगा। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल हो सकेगा और परमाणु समुदाय के शीर्ष देशों में अपना उचित स्थान हासिल करेगा। हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ेगा। इससे आई.टी.ई.आर. और जेनरेशन iv इनिशियेटिव जैसे परमाणु क्षेत्र में अत्याधुनिक बहुपक्षीय वैज्ञानिक प्रयासों में एक पूर्ण भागीदार के रूप में भारत की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी।

अध्यक्ष महोदय, 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए अमेरिका और भारत को परस्पर मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत द्वारा उठाये जाने

[डा. मनमोहन सिंह]

वाले कदम अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर निर्भर करेंगे। जहां तक हमारा संबंध है, हमने पृथक्करण योजना तैयार कर ली है जिसमें उन नागरिक संयंत्रों को चिन्हित किया गया है जिन्हें हम निगरानी के लिए प्रस्तावित करना चाहते हैं। अमेरिकी सरकार ने इस पृथक्करण योजना को स्वीकार कर लिया है। अब अमेरिकी सरकार अपने कानूनों में संशोधन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से आग्रह करेगी और साथ ही न्युक्लियर सप्लायर ग्रुप से भी अपने दिशा-निर्देशों को अनुकूल बनाने के लिए अनुरोध करेगी ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण नागरिक सहयोग स्थापित किया जा सके। भारत उपयुक्त स्तर पर भारत-विशिष्ट निगरानी समझौते जिसमें इस व्यवस्था का एकमात्र स्वरूप परिलक्षित होगा, पर चर्चा करने और उसे तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संपर्क करेगा। चूंकि इस तरह के निगरानी समझौते पर अभी बातचीत की जानी है इसलिए इसकी विषयवस्तु पर पहले से कुछ बताना मुश्किल होगा। फिर भी, मैं सदन का यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम ऐसे किसी भी प्रावधान को स्वीकार नहीं करेंगे जो 18 जुलाई, 2005 के वक्तव्य और 2 मार्च, 2006 को भारत और अमेरिका के बीच सहमति प्राप्त पृथक्करण योजना के मानदंडों से बाहर जाते हों। हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताहों और महीनों में यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें। इस समय परमाणु ऊर्जा हमारे विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कुल ऊर्जा का केवल 3% ही उपलब्ध कराती है। आयातित हाइड्रोकार्बन आपूर्ति की बढ़ती कीमतें और इस पर निर्भरता ऐसे समय में एक बड़ी अनिश्चितता की स्थिति पैदा करती है जब हम अपनी विकास दर में तेजी ला रहे हैं। हमें सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र में - स्वच्छ कोयला और कोल-बेड मिथेन से लेकर गैस हाईड्रेट्स और पवन तथा सौर ऊर्जा तक अपनी क्षमताओं में विस्तार के लिए कोशिश करनी होगी। हम विश्व भर में सक्रियता से अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी हासिल कर रहे हैं और हम ऊर्जा के क्षेत्र में की जाने वाली अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पहलों के सदस्य हैं। वस्तुतः राष्ट्रपति श्री बुश के साथ अपनी बातचीत के अन्त में हमने दो और कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी की घोषणा की थी जिनमें उत्सर्जन-रहित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए फ्यूचर-जेनेरेशन प्रोग्राम तथा गैस हाइड्रेट्स के लिए इन्टीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम शामिल हैं।

सदन इस बात से सहमत होगा कि विभिन्न स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा आपूर्ति की एक नीति तैयार करना हमारे व्यापक आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों को हासिल करने पर केन्द्रित है। ऊर्जा हमारी अर्थ-व्यवस्था की जीवन-शक्ति है। पर्याप्त मात्रा में और जरूरत के मुताबिक ऊर्जा की उपलब्धता के बगैर सामाजिक क्षेत्र में हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध न होने से आधुनिक आधारभूत ढांचे के निर्माण पर घातक प्रभाव पड़ता है। लगातार कम होते जल-संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर इसका सीधा असर पड़ता है। इस प्रकार, ऊर्जा की कमी केवल एक क्षेत्र में ही हमें पंगु नहीं बनाती है बल्कि यह सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर कुठाराघात करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि भारत के लोगों की जरूरतें हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य एजेन्डा होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने ही अमेरिका के साथ हमारी बढ़ती भागीदारी का मार्गदर्शन किया है। खास तौर पर मैं एक तीन-वर्षीय वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल की शुरुआत करने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ताकि जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं तथा व्यवसायों को जोड़ा जा सके। हमारी पहली हरित-क्रांति को अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराई गई मदद से काफी लाभ हुआ था। हमें आशा है कि कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल हमारे देश में दूसरी हरित-क्रांति की अग्रदूत बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, भारत और अमेरिका दोनों देशों को इस नई भागीदारी से काफी लाभ मिलेगा। राष्ट्रपति श्री बुश की यात्रा के दौरान हमारी चर्चाओं का यही एक प्रमुख विषय था। नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की फिर से शुरुआत यह प्रदर्शित करेगी कि हम अपने संबंधों के एक नए और अधिक सकारात्मक चरण में प्रवेश कर गए हैं ताकि हम परमाणु क्षेत्र में वर्षों के तकलीफदेह संबंधों को पूरी तरह पीछे छोड़ सकें। मुझे भरोसा है कि यह एक ऐसा उपयुक्त उद्देश्य है जिसे इस सदन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा।

राष्ट्रपति बुश के दौरे (2-3-06) के दौरान जारी भारत-अमरीका का संयुक्त वक्तव्य

राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से हमारी सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने में अमरीकी और भारत के बीच हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। हमारे दोनों देश स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रति गहरी वचनबद्धता; राष्ट्रीय विविधता, मानवीय सृजनात्मकता और नवाचार की परंपरा; संपूर्ण विश्व में समृद्धि लाने और आर्थिक अवसर

बढ़ाने की तलाश; और असहिष्णुता, आतंकवाद और व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार से उत्पन्न साझे खतरों के विरुद्ध परस्पर सुरक्षा बढ़ाने की इच्छा से बंधे हुए हैं। अमरीका-भारत संबंधों में आये इस सफल बदलाव का नयी सदी में उभर रही भावी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर निर्णायक और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

18 जुलाई, 2005 के अपने संयुक्त वक्तव्य के बाद से अमरीका और भारत के बीच वैश्विक भागीदारी को बढ़ाने में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को और आगे बढ़ाने की अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं। इस उद्देश्य के अनुरूप दोनों नेता निम्नलिखित क्षेत्रों में अमरीका और भारत द्वारा मिलकर कार्य करने के प्रयासों पर बल देते हैं; जहां वे:

आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए

(1) निम्नलिखित के जरिए व्यापार और निवेश के लिए उपयोगी द्विपक्षीय व्यावसायिक माहौल बनाने के प्रयासों को तेज करने पर सहमत हुए:-

1. भारत-अमरीका सी.ई.ओ. मंच की रिपोर्ट का स्वागत, हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और व्यापक बनाने के उद्देश्य से इसकी सिफारिशों पर विचार करने पर सहमति, और सी.ई.ओ. मंच के साथ तेजी से कार्य करने के लिए भारत-अमरीका आर्थिक वार्ता के अध्यक्षों को निर्देश;

2. तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापार और निवेश की बाधाओं को कम करने के लिए अमरीका-भारत व्यापार नीति मंच के प्रयासों का समर्थन;

3. वर्ष 2006 में एक उच्च-स्तरीय सार्वजनिक-निजी निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन करके परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने और इसकी बाधाओं को समाप्त करने के प्रयासों को जारी रखने, और वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार की शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श बढ़ाने, तथा वित्तीय प्रणाली के गैर-कानूनी इस्तेमाल पर रोक लगाने पर सहमति।

(2) निम्नलिखित के जरिए कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की:-

1. एक तीन वर्षीय वित्तीय प्रतिबद्धता सहित कृषि के क्षेत्र में ज्ञान पहल की शुरुआत ताकि जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित कृषि शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता-निर्माण परियोजनाओं में मदद करने के लिए हमारे विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और व्यवसायों से संपर्क स्थापित किया जा सके।

2. ऐसे करारों, जिनसे अरमीकी बाजार भारतीय आम के लिए खुल सके, भारत को यह प्रमाणित करने का प्राधिकार प्राप्त हो सके कि अमरीका भेजे जाने वाले भारतीय उत्पाद यू.एस.डी.ए. आर्गेनिक मानकों के अनुरूप हैं, और ताजे फलों और सब्जियों, मुर्गी तथा डेयरी उत्पादों और बादाम के व्यापार को प्रभावित करने वाले वर्तमान विनियमों पर चर्चा करने का प्रावधान किया जा सके, के जरिए कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मत कार्य-योजना का समर्थन।

(3) वर्ष 2006 के समाप्त होने से पहले विश्व व्यापार संगठन के दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को पूरा करने की अपनी साझी वचनबद्धता की पुष्टि की और वे इस नतीजे पर पहुंचने के लिए मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए।

ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए

(1) भारत की पृथक्करण योजना पर चर्चाओं के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने का स्वागत किया और 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में परमाणु सहयोग के संबंध में की गयी वचनबद्धताओं के पूरा होने की उम्मीद जताई। इस ऐतिहासिक कार्य से हम अपने देश भारत और अमरीका के बीच तथा भारत एवं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करने के हमारे साझे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

(2) पूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग के साझे ल7य को हासिल करने की दिशा में अगले महत्वपूर्ण कदम के रूप में फ्यूजन एनर्जी पर आई.टी.ई.आर. पहल में भारत की भागीदारी का स्वागत किया।

(3) फ्यूचर जेन, जो स्वच्छ कोयला उत्सर्जन रहित बिजली परियोजना हेतु नयी, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, में भारत की भागीदारी पर सहमति व्यक्त की। भारत इस परियोजना के वित्त-पोषण में योगदान देगा और इस पहल की सरकारी संचालन समिति में भाग लेगा।

(4) स्वच्छ विकास और जलवायु से संबंद्ध एशिया प्रशांत

[डा. मनमोहन सिंह]

भागीदारी के सृजन का स्वागत किया जिससे भारत और अमरीका ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देते हुए सतत् विकास को आगे बढ़ाने तथा ऊर्जा की बढ़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे। इस भागीदारी में स्वच्छ, कम लागत वाली तथा अधिक प्रभावी प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के विकास, प्रसार, नियोजन और अंतरण में सहयोग किया जाएगा और इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा।

(5) इंटिग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, जो एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान प्रयास है जिससे गैस हायड्रेट्स जैसे ऊर्जा के दीर्घकालीन समाधान में मदद मिलेगी, में भारत की रूचि का स्वागत किया।

(6) भारत-अमरीका ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत होने वाले सकारात्मक सहयोग पर गौर करते हुए ऊर्जा प्रभाविकता और प्राकृतिक गैस जैसे विषयों पर संयुक्त सम्मेलन आयोजित करने, अक्षय ऊर्जा पर अध्ययन मिशन चलाने, कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन के लिए भारत में निकासी घर की स्थापना करने और ऊर्जा बाजार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान करने की योजनाओं का उल्लेख किया।

नवोत्पाद और ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए

(1) ज्ञान-भागीदारी के महत्व पर बल देते हुए द्वि-राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना की घोषणा की जिसका वित्त-पोषण अमरीका और भारत मिलकर करेंगे। इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोगपूर्ण भागीदारी विकसित होगी और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(2) इस बात पर सहमत हुए कि अमरीका और भारत जीवंत बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था बनाकर नवोत्पाद, सृजन और प्रौद्योगिकीय प्रगति को बढ़ावा देने तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों, मानव संसाधन विकास और जन-जागरण कार्यक्रमों के जरिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

(3) अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह संचालन और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों सहित असैनिक अंतरिक्ष में आगे और सहयोग का पता लगाने पर सहमत हुए। अमरीका और भारत ऐसे करारों के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुए जिससे कि भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों द्वारा अमरीकी उपग्रहों और अमरीकी पुर्जों वाले उपग्रहों को छोड़ने की सुविधा उपलब्ध हो सके तथा दोनों देशों के बीच व्यावसायिक अंतरिक्ष सहयोग के नये अवसर उपलब्ध हो सकें।

(4) भारतीय चंद्र मिशन चंद्रायण-1 में अमरीकी उपकरण लगाये जाने का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि इसरो और नासा द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

(5) उन मदों, जिनके लिए सिर्फ असैनिक कार्यों में लगे भारत में अंतिम उपभोक्ताओं को निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, पर लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट देने के अमरीकी वाणिज्य विभाग की योजना का स्वागत किया।

वैश्विक सुरक्षा एवं संरक्षा

(1) दोनों देशों के बीच संवर्धित आतंकवादरोधी सहयोग पर गौर किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके विरुद्ध संघर्ष करके इसे विश्व के हर कोने से उखाड़ फेंकना होगा।

(2) अमरीका और भारत के बीच 28 जून, 2005 को संपन्न अमरीका-भारत रक्षा संबंधों की नई रूपरेखा के बाद रक्षा के क्षेत्र में बढ़े सहयोग का स्वागत किया, जो सफल संयुक्त अभ्यासों, विस्तारित रक्षा सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान, तथा प्रौद्योगिकियों को संयुक्त रूप से विकसित करने के अधिक अवसरों और सुरक्षा एवं मानवीय मसलों के निपटान से परिलक्षित हुआ।

(3) वाणिज्य के मुक्त प्रवाह की सुरक्षा तथा नौवहन की संरक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया और समुद्र में संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करते हुए समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने, जलदस्युता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की रोकथाम करने, खोज और बचाव कार्य करने, समुद्री प्रदूषण को रोकने, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने, आपातकालीन चुनौतियों का मुकाबला करने और सहयोगात्मक क्षमताओं को बढ़ाने हेतु समुद्री सहयोग की रूपरेखा को अंतिम रूप देने पर सहमति हुई। दोनों पक्ष संभारतंत्रीय सहायता करार को शीघ्रता से अंतिम रूप देने पर कार्य कर रहे हैं।

(4) सार्वभौमिक समुद्री व्यापार और आधारभूत संरचना को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित बनाने और व्यापक विनाश के हथियारों को छिपाने के लिए उपयोग किए जा रहे नौवहन पोतों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से पोत सुरक्षा पहल में शामिल होने की भारत की मंशा का स्वागत किया।

(5) व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया।

(6) जुलाई, 2005 आपदा राहत पहल को तैयार करते

समय महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन सहयोग और आपदा स्थितियों से निपटने की अपनी उन्नत क्षमताओं पर गौर किया।

(7) इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपनी बढ़ती हुई अन्तर-निर्भरताओं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अंतरणों और साइबर अपराधों, आतंकवाद और अन्य दुर्भावनापूर्ण चुनौतियों से संकटग्रस्त बुनियादी ढांचे का संरक्षण शामिल है, को संरक्षित करने हेतु साइबर सुरक्षा और अधिक सहयोग करने में क्षमता निर्माण के महत्व को स्वीकार किया।

लोकतंत्र को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला

(1) सितंबर, 2005 में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के संयुक्त रूप से शुभारंभ को स्मरण किया और क्षमता निर्माण, तीसरे देश जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु ऐसी सहायता का अनुरोध करते हैं उन्हें प्रशिक्षण एवं आदान-प्रदानों के लिए दोनों सरकारों के अनुभवों और विशेषज्ञताओं को देने का प्रस्ताव किया।

(2) अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अंतरण केंद्र (आई.सी.डी.टी.) के सहयोगी क्रिया-कलापों को सुसाध्य बनाने के लिए बुडापेस्ट स्थित आई.सी.डी.टी. के सरकारी सलाहकार बोर्ड के लिए एक प्रतिनिधि को नामित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के निर्णय का स्वागत किया।

(3) इस बात पर सहमति हुई कि सितंबर 2005 में गठित वास्तविक समन्वय और सूचना केन्द्रों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और इसकी सेवाओं के इस्तेमाल हेतु व्यावहारिक कार्यक्रम विकसित करने पर केंद्रित एक द्विपक्षीय बैठक शीघ्र होनी चाहिए।

(4) यू.एस.एफ.डी.ए. औषध अनुमोदन प्रक्रियाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया, जिससे विश्व स्तर पर एच.आई.वी./एड्स के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होगी और एच.आई.वी./एड्स के लिए भारत-अमरीका सामूहिक कोष की स्थापना सहित इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए बेहतर सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

(5) चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में द्विपक्षीय प्रयासों का विस्तार करने और सहयोग जारी रखने तथा भारत में खाद्य एवं भेषज विनियमन तथा साथ ही एवियन इन्फ्लूएंजा की चिंता से निपटने, जिसमें निजी क्षेत्र में जाने पर सहमति भी शामिल है, में तकनीकी क्षमता को मजबूत करने, क्षेत्रीय संचार नीतियां विकसित करने, और क्षेत्र में नियंत्रण एवं अनुक्रिया अभ्यास का आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने सन् 2007 में होने वाली एवियन और पैनडेमिक इंफ्लूएंजा पर अंतर्राष्ट्रीय बागीदारी की बैठक की मेजबानी करने हेतु भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया।

(6) वन्यजीवों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संगठन में भारत की सदस्यता का स्वागत किया जो एक ऐसी भागीदारी है जिसके माध्यम से हम वन्यजीवों और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध संघर्ष में सहयोग करेंगे; हम उद्यान प्रबंधन और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन पर सहयोग के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण पर लम्बित कार्य को मिलजुलकर पूरा करने के अवसर का भी स्वागत करते हैं।

राष्ट्रपति बुश ने हार्दिक स्वागत और शानदार मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री सिंह और भारत की जनता का धन्यवाद किया।

18 जुलाई, 2005 के भारत-अमरीका संयुक्त वक्तव्य: भारत की पृथक्करण आयोजना-का क्रियान्वयन

भारत और संयुक्त राज्य के बीच पूर्णरूपेण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग की बहाली का प्रश्न भारत की अपनी तीव्र अधिक वृद्धि दर को कायम रखने के लिए और अपने बढ़ते हुए प्रौद्योगिक कौशल की पहचान के लिए काफी मात्रा में और सस्ती ऊर्जा की आपूर्तियों संबंधी आवश्यकता के संदर्भ में उठा। दोनों सरकारों, खास तौर पर राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच सार्वभौमिक ऊर्जा परिदृश्य और हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर बढ़ते हुए दबाव और तेल की बढ़ती कीमतों के दीर्घकालीन प्रभावों पर प्रारम्भिक चर्चा हुई। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप अप्रैल, 2005 में भारत-अमरीकी ऊर्जा वार्ता की घोषणा की गई। इस वार्ता में तेल और गैस से लेकर कोयले, वैकल्पिक ईंधनों और असैनिक नाभिकीय ऊर्जा तक के ऊर्जा विकल्पों के सम्पूर्ण परिदृश्य को शामिल किया गया था। ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हल निकालने के लिए दोनों देशों ने एक सार्थक वार्ता करके भारत की बढ़ती हुई जरूरतों के लिए स्थाई, सक्षम, पूर्वानुमेय और लागत प्रभावी समाधान खोजने का प्रयास किया। इसके साथ ही वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ऊर्जा उपभोग के पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ, सक्षम, सस्ती और विविधतापूर्ण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास करना और उन्हें स्थापित करना आवश्यक है। भारत ने नाभिकीय क्षेत्र में सम्पूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र सहित प्रमाणित और व्यापक क्षमताएं विकसित कर ली हैं। यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान ली गई है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत का अद्वितीय योगदान है। भारत आई.टी.ई.आर. में पूर्ण भागीदार है और अमरीका एवं

[डा. मनमोहन सिंह]

अन्य भागीदारों का उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त है। भारत ने स्वच्छ विकास भागीदारी की पहल में शामिल होने के अमरीका के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया है।

2. ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दोहरी चुनौतियों का सामना करने में असैनिक नाभिकीय ऊर्जा की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए दोनों सरकारों ने 18 जुलाई, 2005 को पारस्परिक वचनबद्धता और दायित्व निभाने पर सहमति व्यक्त की जिससे इस क्षेत्र में पूर्ण सहयोग बहाल करने की एक रूपरेखा बन पायेगी। अमरीका ने अपनी ओर से निम्नलिखित वचन दिया:-

- पूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग प्राप्त करने हेतु अमरीकी कानूनों और नीतियों को अनुकूल बनाने के लिए कांग्रेस की सहमति प्राप्त करना।

- भारत के साथ पूर्ण असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग एवं व्यापार, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तारापुर के संरक्षित परमाणु रिएक्टरों हेतु ईंधन आपूर्तियों पर शीघ्र विचार करना शामिल है, को सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन-प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए मित्रों एवं सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करना।

- इसी बीच, तारापुर को शीघ्र ईंधन की आपूर्ति करने पर विचार करने के लिए इसके साझेदारों को बढ़ावा देना।

- आई.टी.ई.आर. में भारत की भागीदारी पर विचार करने के लिए इसके साझेदारों के साथ परामर्श करना।

- भारत को शामिल करने के लिए जेनेरेशन-IV इंटरनेशनल फॉरम में अन्य भागीदारों के साथ परामर्श करना।

3. भारत ने उसी तरह के दायित्वों को लेने और कार्यों को करने में अपनी रजामंदी दे दी है तथा वैसे ही लाभ एवं फायदे उठाना चाहता है जैसा कि संयुक्त राष्ट्र जैसे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य अग्रणी देश उठा रहे हैं। तदनुरूप, भारत ने अपनी ओर से निम्नलिखित वचनबद्धताएं जाहिर की:-

- चरणबद्ध तरीके से असैनिक एवं सैन्य नाभिकीय सुविधाओं एवं कार्यक्रमों की पहचान करना तथा उन्हें पृथक् करना।

- आई.ए.ई.ए. के साथ अपनी असैनिक सुविधाओं के संबंध में की गई घोषणा को पूरा करना।

- अपनी असैनिक नाभिकीय सुविधाओं को स्वेच्छा से आई.ए.ई.ए. के सुरक्षापायों के अधीन रखने का निर्णय लेना, तथा

- असैनिक नाभिकीय सुविधाओं के संबंध में एक अतिरिक्त प्रोतोकोल को हस्ताक्षरित करना और उसका अनुपालन करना।

4. भारत द्वारा की गई अन्य वचनबद्धताओं को पिछले वर्ष ही पूरा कर दिया गया। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भारत का उत्तरदायी अप्रसार रिकॉर्ड, जिसे अमरीका द्वारा मान्यता दी गई, बना हुआ है और यह इसकी नीतियों एवं कार्रवाइयों में दर्शाया गया है।

- एन.एस.जी. और एम.टी.सी.आर. के दिशा-निर्देशों के साथ भारत के निर्यात नियंत्रणों को सुसंगत बनाना, हालांकि, भारत किसी भी दल का सदस्य नहीं है। इन दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों को अधिसूचित कर दिया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सामूहिक संहार आयुध अधिनियम - मई, 2005 के परिणामस्वरूप भारत के अप्रसार विनियमों और निर्यात नियंत्रणों को अत्यधिक उन्नत बनाया गया। अन्य संगत अधिनियमों की जांच करने तथा उसमें संशोधन करने के साथ-साथ उपयुक्त नियमों एवं विनियमों को तैयार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा है।

- उन देशों को संवर्धन एवं पुनर्संसाधन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को रोकना, जिनके पास ये प्रौद्योगिकियां नहीं हैं और इनके प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समर्थन करना। इसने हमारी अप्रसार नीति को निर्देशित किया है।

- परमाणु परीक्षण पर अनवरत एकपक्षीय विलम्बन, तथा

- एक बहुपक्षीय विखण्डय सामग्री विच्छेद संधि को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राज्य के साथ कार्य करने की इच्छा।

5. 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य में माना गया है

कि भारत उसी तरह के दायित्वों को लेने और कार्यों को करने के लिए तैयार है जैसाकि संयुक्त राज्य जैसे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले अन्य अग्रणी देश कर रहे हैं। अप्रसार में भारत का एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड है। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम में सैन्य और असैनिक दोनों घटक हैं। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि भारत के सामरिक कार्यक्रम में बाधा डालना उनका उद्देश्य नहीं है बैल्कि वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग की बहाली को संभव बनाना है। इस बहाली पर ऐसे सहयोग की आशा की गई थी कि भारत को असैनिक क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग (अमरीका द्वारा दिए सहयोग सहित) को प्रथमतः असैनिक उद्देश्यों से अलग कार्यों के लिए काम में नहीं लाया जाएगा और द्वितीयतः इन्हें सुरक्षोपायों के बिना भारत से तीसरे देशों को नहीं भेजा जाएगा। इन संकल्पनाओं को भारत और आई.ए.ई.ए. के बीच होने वाले सुरक्षोपाय करार में परिलक्षित किया जाएगा।

6. भारत का परमाणु कार्यक्रम अद्वितीय है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है, जिसने परमाणु अस्त्रों के होते हुए भी इसे सैन्य कार्यक्रम के लिए समर्पित नही किया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए कि सामरिक कार्यक्रम परमाणु विद्युत कार्यक्रम संबंधी अनुसंधान की एक प्रशाखा है और तदुपरांत, इसे एक बड़े अभिन्न कार्यक्रम में सन्निहित किया गया है। पूर्णतः असैनिक सुविधाओं एवं कार्यक्रमों का निर्धारण, जिनका कोई सामरिक तात्पर्य नहीं है, एक विशेष चुनौती प्रस्तुत करता है। अतः पृथक्करण योजना में असैनिक स्वरूप में निर्धारित सुविधाएं भारत द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चरणबद्ध तरीके से सुरक्षापायों हेतु प्रस्तावित की जाएगी। संबद्ध सुविधा की प्रकृति, उसमें शुरू किए गए कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सामग्रियों का महत्व और सुविधाओं का स्थान इस पृथक्करण प्रक्रिया को शुरू करते वक्त ध्यान देने योग्य घटक हैं। यह सिर्फ भारत का संकल्प है।

7. भारत की नाभिकीय संस्थापना ने न केवल परमाणु रिएक्टरों को बनाया है, वरन् एक राष्ट्रीय औद्योगिक ढांचे के विकास को भी बढ़ावा दिया है। परमाणु विद्युत उत्पादन की परिकल्पना एक त्रि-चरणीय कार्यक्रम के रूप में की गई थी जिसमें प्रथम चरण में दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पी.एच.डब्ल्यू. आर.) को काम में लाने के लिए चुना गया था। जैसे ही स्वदेशी रिएक्टरों को स्थापित किया गया, भारतीय अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर आधारित कई अभिनव डिजाइनों में सुधार किए गए और एक मानकीकृत डिजाइन विकसित किया गया। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्य में फ्रंट एंड और बैक एंड सहित सम्पूर्ण परमाणु ईंधन चक्र का परिदृश्य शामिल है। ईंधन चक्र के बैक एंड संबंधी प्रौद्योगिकियों में हासिल सफलता ने हमें एक फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर का निर्माण कर इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत करने में मदद की है। इस रिएक्टर ने अद्वितीय कार्बाइड ईंधन के आधार पर 20 वर्षों तक काम किया है और समस्त प्रौद्योगिकी उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। अब हम आगे बढ़ गए हैं और 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण कर रहे हैं। साथ-ही-साथ हमने थोरियम का उपयोग करने के लिए लक्षित और अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं को शामिल करने वाले रिएक्टरों के डिजाइन और विकास का काम शुरू कर दिया है।

8. ग्रिड संयोजकता जैसी अवधारणाएं पृथक्करण कार्यों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। ईंधन संसाधन की निरंतरता, तकनीकी डिजाइन और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होना, और साथ ही रिएक्टरों के निर्बाध प्रचालन से जुड़े मुद्दे प्रासंगिक कारक हैं। इससे इस बात पर विचार किये बिना कि संबंधित रिएक्टर असैनिक हैं या असैनिक नहीं हैं, ग्रिड की संयोजकता हो पायेगी।

9. यह भी माना जाना चाहिए कि अभी भी भारतीय परमाणु कार्यक्रम का आधार अपेक्षाकृत सीमित है और इनसे ऐसे समाधार को स्वीकार करने की आशा नहीं की जा सकती, जो अपेक्षाकृत बड़े कार्यक्रमों के लिए व्यवहार्य माने जा सकते हैं। भारत और पी-5 के बीच रिएक्टरों की संख्या और कुल स्थापित क्षमता की तुलना तालिका में की गयी है:-

देश	रिएक्टरों की संख्या	कुल स्थापित क्षमता
भारत	15	3.04 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 2.8%)
संयुक्त राज्य अमेरिका	104 (103 प्रचालनीय)	99.21 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 19.9%)

[डा. मनमोहन सिंह]

देश	रिएक्टरों की संख्या	कुल स्थापित क्षमता
फ्रांस	59	63.36 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 78.1%)
यू.के.	23	11.85 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 19.4%)
रूस	31	21.74 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 15.6%)
चीन	9	6.602 गीगा वाट इलैक्ट्रिकल (कुल उत्पादन का 2.2%)

स्रोत: परमाणु ऊर्जा संस्थान, वाशिंगटन डी.सी.

10. ध्यान में रखी जाने वाली दूसरी बात है भारत द्वारा स्वदेश में निर्मित रिएक्टरों की कम क्षमता जिसमें से कुछ सुरक्षा की परिधि से बाहर होंगे। अत: सुरक्षाओं के दायरे की सीमा के मूल्यांकन में रिएक्टरों की संख्या और स्थापित क्षमता की प्रतिशतता, दोनों को देखना महत्वपूर्ण है। एक औसत भारतीय रिएक्टर की क्षमता 220 मेगावाट है और पी-5 "इकोनॉमी" में मानक रिएक्टर की तुलना में इसका उत्पादन काफी कम है। निम्नलिखित सारणी इस पक्ष को स्पष्ट करती है:-

देश	सर्वाधिक प्रयुक्त रिएक्टर	ऐसे रिएक्टरों की संख्या
भारत	पी.एच.डब्ल्यू.आर. 220 मेगावाट इलैक्ट्रिकल	12
संयुक्त राज्य अमेरिका	69 दाबित पानी रिएक्टर और 34 वायलिंग वाटर रिएक्टर। अधिकांश संयंत्र 1000-1250 मेगावाट इलैक्ट्रिकल की रेंज में हैं।	1000 मेगावाट इलैक्ट्रिकल से 1250 मेगावाट इलैक्ट्रिकल की रेंज में 51 रिएक्टर
फ्रांस	900 मेगावाट इलैक्ट्रिकल और 1300 मेगावाट इलैक्ट्रिकल आकार के पी.डब्ल्यू.आर.	900 मेगावाट इलैक्ट्रिकल के 34 पी.डब्ल्यू.आर. और 1300 मेगावाट इलैक्ट्रिकल के 20 पी. डब्ल्यू.आर.
यू.के.	कोई मानक आकार नहीं है। ए.जी.आर. 600-700 मेगावाट इलैक्ट्रिकल की रेंज में आने वाला सर्वाधिक प्रयोग में आता है।	14 ए.जी.आर.
रूस	तीसरी पीढ़ी के वी.वी.ई.आर.-1000 पी.डब्ल्यू. आर. और आर.बी.एम. के 1000 हलका पानी ग्रेफाइट रिएक्टर	तीसरी पीढ़ी के 9 वी.वी.ई.आर. 1000 पी.डब्ल्यू. आर. और 11 आर.बी.एम. के 1000 हलका पानी ग्रेफाइट रिएक्टर
चीन	पी.डब्ल्यू.आर. 984 मेगावाट इलैक्ट्रिकल	चार

स्रोत: यूरेनियम इन्फार्मेशन सेंटर, मेलबोर्न

11. पृथक्करण की प्रक्रिया की जटिलता उन सीमित संसाधनों से और भी अधिक बढ़ जाती है जिन्हें भारत ने पी-5 राष्ट्रों की तुलना में अपने परमाणु कार्यक्रम में लगाया है। इसके अतिरिक्त, जैसे-जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करेगा वैसे-वैसे सुरक्षोपायों के अंतर्गत उसके ताप विद्युत रिएक्टरों की स्थापित क्षमता पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी क्योंकि इस प्रकार का सहयोग से नई क्षमता जुड़ जाती है।

12. भारत द्वारा अपनी असैनिक परमाणु सुविधाओं को पृथक करने का तरीका निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्दिष्ट है:-

- सुस्पष्ट रूप में विश्वसनीय, व्यवहार्य और क्रियान्वित किया जा सकने योग्य;
- 18 जुलाई के वक्तव्य में निहित बातों के अनुरूप;
- भारत की राष्ट्रीय और अनुसंधान एवं विकास अपेक्षाओं के अनुरूप तथा भारत के त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के प्रतिकूल नहीं;
- क्रियान्वयन मितव्ययतापूर्ण होना चाहिए; और
- संसद और जनमत को स्वीकार्य होना चाहिए।

13. इन सिद्धांतों के आधार पर भारत:

- सुरक्षापायों के लिए प्रस्तावित केवल उन संयंत्रों को असैनिक सूची में शामिल करेगा जो पृथक होने के पश्चात सामरिक महत्व की गतिविधियों में संलग्न नहीं किया जाएगा।
- इसका निर्णायक मानदण्ड यह निर्णय करना होगा कि किसी संयंत्र को आई.ए.ई.ए. सुरक्षापायों के अधीन करने से उससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।
- किसी ऐसे संयंत्र को असैनिक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा यदि वह सामरिक महत्व के किसी अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में स्थित हो बावजूद इस तथ्य के कि वह सामान्यत: सामरिक महत्व की गतिविधियों में सामिल नहीं होता है।
- अत: असैनिक सुविधा वह होगी, जिसके बारे में भारत यह निर्धारित करे कि वह उसके सामरिक कार्यक्रम के लिए संगत नहीं है।

14. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत, संयुक्त राज्य द्वारा उठाए गए प्रतिक्रियात्मक कदमों के आधार पर निम्नलिखित मार्ग अपनाएगा:-

(i) ताप विद्युत रिएक्टर: भारत 2006 से 2014 के बीच 14 ताप विद्युत रिएक्टरों की पहचान करेगा तथा उनके सुरक्षापायों का प्रबंध करेगा। इनमें चार मौजूदा सुरक्षोपाय युक्त रिएक्टर (टी.ए.पी.एस. 1 एवं 2, आर.ए.पी.एस. 1 एवं 2) शामिल होंगे और इसके अतिरिक्त के.के. 1 एवं 2 भी शामिल होंगे जो अभी निर्माणाधीन है। 8 अन्य दाबित भारी पानी रिएक्टर की पेशकश भी की जाएगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 एम.डब्ल्यू. होगी। सुरक्षोपाय प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट ताप विद्युत रिएक्टरों को चरणबद्ध करते समय भारत द्वारा उन्हें अलग से इंगित किया जाएगा। इस प्रकार की पेशकश के जरिए सुरक्षापायों के अंतर्गत रखे जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा परिचालनरत अथवा निर्माणाधीन 22 ताप विद्युत रिएक्टरों में से 14 शामिल किए जाएंगे और इससे एम.डब्ल्यू. के रूप में कुल स्थापित ताप विद्युत क्षमता मौजूदा 198% से बढ़कर 2014 में 65% हो जाएगी।

(ii) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर: भारत कलपाक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी.एफ.बी.आर.) और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफ.बी.टी.आर.) के लिए सुरक्षोपाय स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। फास्ट ब्रीडर कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास अवस्था में है और उसकी प्रौद्योगिकी परिपक्व होने में और विकास की प्रगत अवस्था में पहुंचने में समय लगेगा।

(iii) भावी रिएक्टर: भारत ने सभी भावी असैनिक ताप विद्युत रिएक्टरों और असैनिक ब्रीडर रिएक्टरों को सुरक्षोपायों के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है और भारत सरकार इस प्रकार के रिएक्टरों को असैनिक घोषित करने का अधिकार केवल अपने पास सुरक्षित रखती है।

(iv) अनुसंधान रिएकटर: भारत 2010 में 'साइरस' रिएक्टर को स्थायी रूप से बंद कर देगा। भारत बी.ए.आर.सी. से बाहर फ्रांस से खरीदे गए 'अप्सरा' रिएक्टर ईंधन क्रोड को स्थानांतरित करने और 2010 में उपलब्ध ईंधन क्रोड को सुरक्षोपायों के अंतर्गत लाने के लिए भी तैयार रहेगा।

(v) अपस्ट्रीम सुविधाएं: निम्नलिखित अपस्ट्रीम सुविधाओं की पहचान करके उन्हें असैनिक सुविधाओं के तौर पर पृथक किया जाएगा:-

- नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में उन विशिष्ट सुविधाओं की सूची जिन्हें 2008 तक सुरक्षोपायों के अंतर्गत लाए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, को अलग से इंगित किया जाएगा।

[डा. मनमोहन सिंह]

- थल, तूतीकोरिन और हजीरा स्थित भारी पानी उत्पादन संयंत्रों को 2006-09 के बीच असैनिक प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने का प्रस्ताव है। हम इन संयंत्रों को सुरक्षोपाय प्रयोजनों के लिए संगत नहीं मानते।

(vi) डाउन स्ट्रीम सुविधाएं: निम्नलिखित डाउन स्ट्रीम सुविधाओं की पहचान करके उन्हें असैनिक सुविधाओं के तौर पर पृथक किया जाएगा।

- भारत, तारापुर विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र के संबंध में 2010 के बाद सुरक्षोपायों को "अभियान" रूप स्वीकार करने को तैयार है।

- तारापुर और राजस्थान स्थित "अवे फ्रॉम रिएक्टर्स" के भुक्तशेष ईंधन भंडारण कुण्ड वर्ष 2006-09 के बीच उपयुक्त चरणबद्ध तरीकों से सुरक्षोपायों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vii) अनुसंधान सुविधाएं: भारत निम्नलिखित सुविधाओं की उद्घोषणा असैनिक सुविधाओं के रूप में करेगा:-

(क) टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान

(ख) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

(ग) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान

(घ) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान

(ङ) गणित विज्ञान संस्थान

(च) भौतिकी संस्थान

(छ) टाटा स्मारक केन्द्र

(ज) विकिरण तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

(झ) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान

ये सुविधाएं सुरक्षोपायों से संगत नहीं हैं। हमारी यह आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में वे मुख्य भूमिका निभाएंगे।

15. सुरक्षोपाय:

(क) अमरीका ने ईंधन की विश्वनीय आपूर्ति की अपनी प्रतिबद्धता से भारत को अवगत करा दिया है। 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में अमरीका ने भारत के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करने के आश्वासन की भी फिर से पुष्टि की है ताकि भारत को अपने रिएक्टरों के लिए ईंधन की सुनिश्चित रूप से और पूर्णत: प्राप्ति हो सके। अमरीका, 18 जुलाई, 2005 के संयुक्त वक्तव्य के क्रियान्वयन एक भाग के रूप में अपने घरेलू नियमों में संशोधन करने और अपने मित्रों तथा सहयोगियों के साथ काम करने के लिए अमरीकी कांग्रेस से सहमति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि नाभिकीय आपूर्ति वर्ग की पद्धतियों को अनुकूल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय ईंधन बाजार तक पूरी पहुंच हासिल करने के लिए भारत के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार की जा सकें, जिनमें कई राष्ट्रों में फर्मों से ईंधन की आपूर्ति विश्वसनीय, निर्बाध और निरंतर रूप से हो सके।

(ख) ईंधन आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आने से और बचाव के उद्देश्य से अमरीका निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय करने के लिए भी तैयार है:-

(i) अमरीका, परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के तहत, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों पर द्विपक्षीय अमरीकी-भारत करार में ईंधन आपूर्ति के संबंध में आश्वासनों को शामिल करने के लिए अमरीका तैयार है, जिसे अमरीकी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) अमरीका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ एक भारत-विशिष्ट ईंधन आपूर्ति करार पर बातचीत करने में भारत का साथ देगा।

(iii) अमरीका, भारत के रिएक्टरों के पूरे जीवन-काल के दौरान किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा आने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए नाभिकीय ईंधन का सामरिक दृष्टि से अतिरिक्त भंडार विकसित करने के भारतीय प्रयास का समर्थन करेगा।

(iv) यदि इन व्यवस्थाओं के बावजूद, भारत को ईंधन की आपूर्ति में बाधा आती है तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को शामिल करते हुए अमरीका और भारत संयुक्त रूप से मित्र आपूर्तिकर्त्ता देशों के समूह की बैठक बुलाएगा ताकि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को शामिल करके ऐसे उपायों का क्रियान्वयन किया जा सके जिससे कि भारत को ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू हो सके।

(ग) अमरीका के साथ उपर्युक्त सहमतियों का ध्यान में रखते हुए, भारत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बीच एक भारत-विशिष्ट सुरक्षोपाय करार पर वार्ता की जाएगी जिसमें असैनिक प्रयोग के लिए सुरक्षित नाभिकीय सामग्री की

आपूर्ति किसी भी समय समाप्त कर देने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के रक्षोपायों के साथ-साथ विदेशों से ईंधन आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में भारत द्वारा अपने असैनिक नाभिकीय रिएक्टरों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाली सुधारात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत अपने असैनिक नाभिकीय रिएक्टरों को भारत-विशिष्ट सुरक्षोपायों के अंतर्गत निरंतर रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के साथ इस दिशा में एक उपयुक्त सुरक्षोपाय करार पर वार्ता करेगा।

16. यह व्यवस्था सरकार द्वारा संसद में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, उन्होंने कहा है कि पृथक्कीकरण योजना अमेरिकन कांग्रेस के समक्ष रखी जायेगी। किन्तु वे इसे हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसे हमारे सामने न रखकर अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखा जा रहा है...*(व्यवधान)* यदि इसे अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखा जा रहा है तो भारतीय संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे सभा पटल पर रखा गया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: केवल विवरण पत्र रखा गया है। उन्होंने कहा है कि यह नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पृथक्कीकरण योजना का उल्लेख किया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने कहा है कि इसे तत्क्षण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस पर अभी विचार-विमर्श किया जाना है। इसे यहां प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब इसे अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखा जा रहा है तो इसे हमारे सामने क्यों नहीं रखा जाना चाहिए?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर निस्संदेह चर्चा की जायेगी। आप नोटिस दीजिए, हम इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर अवश्य ही चर्चा की जायेगी।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं सरकार से यह चाहता हूं कि वह समझौते के लिए इस सभा विशेषकर संसद की मंजूरी ले।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे सभा पटल पर रख दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इस पर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हम अवश्य ही इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यहां चर्चा की एक प्रक्रिया है। आप नोटिस दीजिए और हम इस पर चर्चा करेंगे। हम इस पर चर्चा के लिए समय निकालेंगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस विवरण पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि सुरक्षापायों पार सम्बन्धी समझौते पर विचार-विमर्श किया जाना है तो इसकी अन्तर्वस्तु का अनुमान लगाना कठिन होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से नोटिस देने का अनुरोध करता हूं और मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब इसे अमेरिकन कांग्रेस के समक्ष रखा जा सकता है तो हमारे सामने क्यों नहीं? अमेरिकन कांग्रेस को हमसे बहुत पहले इसकी जानकारी हो जायेगी। संसद को विश्वास में लेना जरूरी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप नोटिस दीजिए। अब श्री येरननायडु बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि संसद को इसकी जानकारी होनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए समय निकालेंगे। आप इस उद्देश्य हेतु नोटिस दीजिए।

...*(व्यवधान)*